न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 20/2020 दायरा दिनांक : 03.03.2020

उनवान

1. मोहनलाल आत्मत प्रभू जी जाति चमार
2. दौलत राम आत्मज प्रभू जी जाति चमार
3. किशोरी बाइ बेवा प्रभू जी जाति चमार
   निवासीगण ग्राम जोलपा तहसील खानपुर जिला झालावाड
4. गीता बाई पुत्री प्रभू जी जाति चमार हाल निवासी ग्राम सींधना तहसील खानपुर जिला झालावाड
5. धनकंवर पुत्री प्रभू जी जाति चमार हाल निवासी ग्राम ईरली तहसील खानपुर जिला झालावाड
6. नट्टी बाई पुत्री प्रभू जी जाति चमार हाल निवासी संजय नगर शमशान के पास कच्ची बस्ती, कोटा

.... अपीलांट

बनाम

1. रामनारायण आत्मज प्रभूलाल जी जाति चमार निवासी ग्राम जोलपा तहसील खानपुर जिला झालावाड हाल निवास थेकड़ा की पुलिया के पास सूरसागर कोटा (राज.)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार खानपुर जिला झालावाड

(महेन्द्र लोढा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

निर्णय **दिनांक : 17.09.2020**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या 873/दावा/2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 03.01.2020 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट द्वारा अपीलांट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट द्वारा वाद प्रस्तुत किया उक्त वाद में अपीलांट द्वारा काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया गया, उक्त काउंटर क्लेम खारिज कर देने से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की । अपील में अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि न्याय एवं संचिका में सिद्धी प्राप्त तथ्यों के विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को समुचित सुनवायी एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व न्यायिक दृष्टान्तों का गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना ही निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि ग्राम जोलपा के खसरा नम्बर 999/1247 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा तहसील खानपुर जिला झालावाड में स्थित है। जिसमें रेस्पोडेंट का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। रस्पोडेंट ने उक्त आराजी का सम्वत् 2026 आखातीज को अपीलांट के पिता को बेचान कर कब्जा भी सम्भला दिया गया था जिस पर अपीलांट के पिता काबिज काश्त रहे हैं और उनके स्वर्गवास के बाद अपीलांट ही वादग्रस्त आराजी पर काश्त करता चला आ रहा है। इस पर रेस्पोडेंट का कब्जा नहीं होने के बाद भी अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री पारित करने में त्रुटि की है । रेस्पोडेंट का कब्जा नहीं होने से रेस्पोडेंट अधीनस्थ न्यायालय से किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, जो उसने अपने साक्ष्य में स्वीकार किया है कि बेचान करने के बाद से उसका वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कब्जा बाबत तनकीयात कायम नहीं की जो कि आवश्यक तनकी थी साथ ही अन्य आराजियात भी स्थित है जिसके सम्बन्ध में कोई आदेश भी पारित नहीं

(महेन्द्र लोढा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

निर्णय **दिनांक : 17.09.2020**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या 873/दावा/2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 03.01.2020 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट द्वारा अपीलांट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट द्वारा वाद प्रस्तुत किया उक्त वाद में अपीलांट द्वारा काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया गया, उक्त काउंटर क्लेम खारिज कर देने से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की । अपील में अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि न्याय एवं संचिका में सिद्धी प्राप्त तथ्यों के विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को समुचित सुनवायी एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व न्यायिक दृष्टान्तों का गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना ही निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि ग्राम जोलपा के खसरा नम्बर 999/1247 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा तहसील खानपुर जिला झालावाड में स्थित है। जिसमें रेस्पोडेंट का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। रस्पोडेंट ने उक्त आराजी का सम्वत् 2026 आखातीज को अपीलांट के पिता को बेचान कर कब्जा भी सम्भला दिया गया था जिस पर अपीलांट के पिता काबिज़ काश्त रहे हैं और उनके स्वर्गवास के बाद अपीलांट ही वादग्रस्त आराजी पर काश्त करता चला आ रहा है। इस पर रेस्पोडेंट का कब्जा नहीं होने के बाद भी अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री पारित करने में त्रुटि की है । रेस्पोडेंट का कब्जा नहीं होने से रेस्पोडेंट अधीनस्थ न्यायालय से किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, जो उसने अपने साक्ष्य में स्वीकार किया है कि बेचान करने के बाद से उसका वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कब्जा बाबत तनकीयात कायम नहीं की जो कि आवश्यक तनकी थी साथ ही अन्य आराजियात भी स्थित है जिसके सम्बन्ध में कोई आदेश भी पारित नहीं

(जितेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

किया है इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । रेस्पोडेंट का वाद मियाद बाहर होने तथा रेस्पोडेंट का कब्जा नहीं होने से रेस्पोडेंट के अधिकार समाप्त होकर अपीलांट वादग्रस्त आराजी की खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है। इस संबंध में अपीलांट द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद भी अपीलांट के विरूद्व निर्णय दिया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम का रेस्पोडेंट द्वारा कोई जबाब प्रस्तुत नहीं करने तथा साक्ष्य द्वारा भी खण्डन नहीं करने के बावजूद भी अपीलांट का काउण्टर क्लेम खारिज करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.01.2020 अपास्त की जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्धान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 03.01.2020 के विरूद्ध अपील पेश की है । रेस्पोडेंट रामनारायण ने अधीनस्थ न्यायालय में दावा पेश किया था । अधीनस्थ न्यायालय ने हमारा काउंटर क्लेम खारिज कर वाद डिक्री कर दिया । वादग्रस्त आराजी पर वादी रेस्पोडेंट रामनारायण का कब्जा नहीं रहा है । हमने वादी से वादग्रस्त आराजी अनरजिस्टर्ड क्रय की है । हमारा काउंटर क्लेम डिक्री फरमावे एवं वादी का वाद खारिज करें ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीवार विश्लेषण करते हुए निर्णय पारित किया है तथा निर्णय में वादी ने अपने वाद को बखूबी साबित किया है। वहीं प्रतिवादीगण ने अपने काउन्टर क्लेम को साबित करने में विफल रहे है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री उचित है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित

(नरेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

नहीं समझते है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.01.2020 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 17.09.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिकरी व सीगे अपील

Iud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

महेन्द्र लोढा, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1. मोहनलाल आत्मत प्रभू जी जाति चमार
2. दौलत राम आत्मज प्रभू जी जाति चमार
3. किशोरी बाइ बेवा प्रभू जी जाति चमार
   निवासीगण ग्राम जोलपा तहसील खानपुर जिला झालावाड
4. गीता बाई पुत्री प्रभू जी जाति चमार हाल निवासी ग्राम सींधना तहसील खानपुर जिला झालावाड
5. धनकंवर पुत्री प्रभू जी जाति चमार हाल निवासी ग्राम ईरली तहसील खानपुर जिला झालावाड
6. नट्टी बाई पुत्री प्रभू जी जाति चमार हाल निवासी संजय नगर शमशान के पास कच्ची बस्ती, कोटा

..... **अपीलांट**

बनाम

1. रामनारायण आत्मज प्रभूलाल जी जाति चमार निवासी ग्राम जोलपा तहसील खानपुर जिला झालावाड हाल निवास थेकडा की पुलिया के पास सूरसागर कोटा (राज.)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार खानपुर जिला झालावाड

.... **रेस्पोडेंट**

अपील नं. **20/2020** एवं नाराजगी डिकी अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, खानपुर**

मु.द.नं **873/दावा/2017** निर्णय अंतिम डिकी दिनांक – **03–01–2020**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 08 माह **09** सन् **2020**

हाजरी **श्री घनश्याम नागर** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 03.01.2020 यथावत रखा जाता है ।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **17** माह **09** सन् **2020** को जारी किया गया ।

मोहर

(महेन्द्र लोढा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा राज.